


परमेश्वरी / राजीत सिंह - 54 / 2020

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---------|---|--|
| 28.3.24 | <p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पोंडेंट्स पीठासीन अधिकारी महोदय आज... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुस्मर दिनांक <u>13.5.24</u> को पेश हो।</p> | |
| 13.5.24 | <p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को रि... कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त करके पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वारसे तलबी दिनांक <u>28/8/24</u> को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।</p> |  <p>राजस्थान हाईकोर्ट ज 12 <u>12692-700</u> 29.5.24</p> |
| 28/8/24 | <p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शांति पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वारसे तलबी दिनांक <u>12.9.24</u> को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।</p> | <p>LC पत्रावली पेश <u>216/17</u> 31.5.24</p> |
| 12/9/24 | <p>पत्रावली पेश वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर के क्रम होकर डाट तर्तीक तकमील दफ्तरी दफ्तरी हो।</p> | <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झनू)</p> |